

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267885
CG-DL-E-21112025-267885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5146]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5146]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

का.आ. 5322(अ).—केन्द्रीय सरकार मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 नवम्बर, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त संहिता के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात:

क्र. सं.	संहिता के उपबंध
1.	धारा 1 से 41;
2.	धारा 42 की उप-धारा (4) से (9);
3.	धारा 43 से 66;
4.	धारा 67 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (क) से (द) और (प) से (यग) और उप-धारा (3) से (5)
5.	धारा 68;
6.	धारा 69, तारीख 18 दिसम्बर, 2020 के का.आ. 4604 (अ) के क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित संहिता के उपबंधों के सिवाय;

[फा. सं. एस-32022/1/2025-डब्ल्यू-सी]

आलोक मिश्रा संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2025

S.O. 5322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), the Central Government hereby appoints the 21st day of November, 2025 as the date on which the following provisions of the said Code, shall come into force, namely: -

Sl. No.	Provisions of the Code
1.	sections 1 to 41;
2.	sub-sections (4) to (9) of section 42;
3.	sections 43 to 66;
4.	sub-section (1) and clauses (a) to (r) and (u) to (zc) of sub-section (2) and sub-sections (3) to (5) of section 67;
5.	section 68;
6.	section 69, except the provisions of the Code mentioned at serial number 3 of S.O. 4604 (E), dated the 18 th December, 2020.

[F.No.S-32022/1/2025-WC]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267884
CG-DL-E-21112025-267884

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5145]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5145]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

का.आ. 5321(अ).—केन्द्रीय सरकार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा (1) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 नवम्बर, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस दिन उक्त संहिता के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-65025/2/2025-आईएसएच-II]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम एवं आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2025

S.O. 5321(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 1 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Central Government hereby appoints the 21st day of November, 2025 as the date on which the provisions of the said Code, shall come into force.

[F. No. S-65025/2/2025-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Economic Advisor

7787 GI/2025

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267882
CG-DL-E-21112025-267882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5143]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5143]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

का.आ. 5319(अ).—केन्द्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 नवम्बर, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस दिन उक्त संहिता के निम्नलिखित उपबन्ध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

क्र. सं.	संहिता के उपबन्ध
1.	धारा 1 से 14;
2.	धारा 15 की उप-धारा (1) और (2);
3.	धारा 16 की उप-धारा (1) का खंड (ग)
4.	धारा 17 से 141;
5.	धारा 143, तारीख 3 मई, 2023 के का.आ. 2060 (अ.) में क्रम संख्या (v) पर विनिर्दिष्ट संहिता के उपबन्धों के सिवाय;

6.	धारा 144 से 163;
7.	धारा 164 की उप-धारा (1) की मद 1 और 2 तथा मद 4 से 9;
8.	धारा 164 की उप-धारा (2) का खंड (क) और खंड (ग) और उपधारा (3)।

[फा.सं. आर-11011/04/2021-एसएस.II]

आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2025

S.O. 5319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby appoints the 21st day of November, 2025 as the date on which the following provisions of the said Code, shall come into force, namely: -

Sl. No.	Provisions of the Code
1.	sections 1 to 14;
2.	sub-sections (1) and (2) of section 15;
3.	clause (c) of sub-section (1) of section 16;
4.	sections 17 to 141;
5.	section 143, except the provisions of the Code specified at serial number (v) of S.O. 2060 (E), dated the 3 rd May, 2023;
6.	sections 144 to 163;
7.	Items 1 and 2 and items 4 to 9 of sub-section (1) of section 164;
8.	clause (a) and clause (c) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 164.

[F. No. R-11011/04/2021-SS.II]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267883
CG-DL-E-21112025-267883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5144]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5144]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

का.आ. 5320(अ).— केन्द्रीय सरकार औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 नवंबर, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त संहिता के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. एस-11025/07/2025-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2025

S.O. 5320(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Central Government hereby appoints the 21st day of November, 2025 as the date on which the provisions of the said Code, shall come into force.

[F.No. S-11025/07/2025-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.